IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY *(IJARETY)*

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi cross ref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421|A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 6, November-December 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1006031

सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान

Dr. Dayachand

Assistant Professor, Department of Political Science, Babu shobha Ram Govt. Arts College Alwar (Rajasthan), India

शोध सार: सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप की आशंका तथा आंतरिक विघटन का बड़ा जोखिम मौजूद था। ऐसे समय में पटेल ने अपनी अद्भुत कूटनीति, दृढ़ निश्चय, प्रशासनिक कौशल और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बल पर रियासतों को भारत संघ में विलय कराने के महान कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जटिल मामलों का समाधान पटेल की सूझबूझ का प्रमाण है। उन्होंने एक अखण्ड, सशक्त और एकीकृत भारत के निर्माण में अप्रतिम योगदान दिया। इस प्रकार यह शोध स्पष्ट करता है कि सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान भारत की राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और अखंडता के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जो आज भी भारतीय राष्ट्रवाद की आधारशिला है।

मूल शब्द: सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रीय एकीकरण, रियासतें, भारत संघ, लौह पुरुष, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, कूटनीति, राजनीतिक एकता।

I. प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से राष्ट्रीय निर्माण में यज्ञ पीठ माना जा सकता है, जिसने अनगिनत राष्ट्रीय भक्तों की आहुति ली। कथाओं में शायद इससे पहले आबू के पर्वतों पर उन राजपूत योद्धाओं को पैदा करने के लिए यज्ञ किया गया, जिसका लक्ष्य भारतीय संस्कृति, गरिमा तथा गौरव को बचाना था। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन के पन्नों पर हमारे पास अनंत युगपुरुष हुए, जिन्होंने अपने जीवन तथा परिवारों को राष्ट्रहित में लगा दिया। इनमें से कुछ प्रमुख मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वी. डी. सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर हुए। इन महापुरुषों में से एक महान पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनका योगदान सत्याग्रह आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों को भारत विलय के लिए मनाना, हैदराबाद की समस्याओं को सुलझाना तथा पाकिस्तान द्वारा कबीले हमले के वक्त गृहमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की रक्षा करना प्रमुख है। भारत निर्माण में सरदार पटेल के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ही भारत की जनता ने उनका एक विशाल पुतला बनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार पटेल, राष्ट्रीय एकता की एक ऐसी मिसाल है, जिन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रखा जाएगा।

II. जन्म तथा शुरुआती राजनीतिक जीवन

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ई. को नाडियाड गांव गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम शेवर भाई तथा माता जी का नाम लालबाई था। उनके पिताजी ने झांसी की रानी की सेना में काम किया था। सरदार पटेल का शुरुआती जीवन ठीक था। वह पढ़ाई में अच्छे और जल्दी समझ रखने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हुई, और बाद में उन्होंने विधि कानून की शिक्षा लेने इंग्लैंड गए। उन्होंने अपनी कानून की डिग्री 1913 ई. में प्राप्त की। वापस गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी तीव्र बुद्धि के कारण बहुत ही जल्दी एक प्रख्यात अधिवक्ता बन गए।

सरदार वल्लभभाई पटेल राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपने भाई विठ्ठल भाई से यह वायदा किया था, कि वह राष्ट्र की स्वतंत्र संग्राम में अपनी हिस्सेदारी डाल सकते हैं। वह खुद अहमदाबाद में रहकर परिवार का भरण पोषण करेंगे। परंतु विध ाता को कुछ और मंजूर था 1917 ई. में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर के चुनाव में मित्रों के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल अपने स्पष्ट अंदाज, जो कई बार रोबीला और तीखा होता था, के लिए जाने जाते थे। अक्टूबर 1917 ई. में महात्मा गांधी को मिलने के बाद सरदार पटेल के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव बदलाव आया उसके बाद राजनीति में ज्यादा कार्यशील हो गए। बोरसाद में गांधी जी के स्वराज के पक्ष में बोलते हुए एक जनता भाषण दिया। गांधी जी के कहने पर गुजरात सभा के सरदार पटेल सचिव बन गए जो आगे जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई बनी। सरदार पटेल की सबसे प्रथम राजनीतिक सफलता वेट, यानी कि बेगार, के खिलाफ थी। अंग्रेजी सरकार भारतीय किसानों तथा मजदूरों से बिना वेतन के जबरदस्ती काम करवाती थी। खेड़ा के अकाल के समय इस तरह की सरकारी क्रूरता आम जनता के लिए काफी समस्या बनी हुई थी।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421|A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 6, November-December 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1006031

गांधीजी खुद उस वक्त चंपारण के आंदोलन में व्यस्त था। सरदार पटेल ने इस आंदोलन को अपने कंधों पर लिया। खेड़ा में काफी जगह पर पदयात्रा करने के बाद सरदार पटेल ने जनमानस तक वेट के विरुद्ध जागृति पैदा की तथा लोगों को अंग्रेजी सरकार के कृत्य के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। हजारों की संख्या में किसानों को सरदार पटेल का साथ दिया। आखिर में सरकार को अंग्रेजी सरकार को सरदार पटेल से बात करने के लिए विवश होना पड़ा तथा सरकारी टैक्सों को वर्ष के स्थगित करना पड़ा। खेड़ा की सफलता ने पटेल का राजनीतिक कद काफी उच्च कर दिया। यह सरदार पटेल का गुजरात में रुतबा था की असहयोग आदोलन के समय गुजरात से कांग्रेस को बहुत बड़ा जनसमर्थन मिल रहा था। समय के साथ साथ सरदार पटेल महात्मा गांधी जी के एक करीबी अनुयाई बन गए तथा महात्मा की अनुपस्थिति में कई आंदोलनों का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया जैसे कि 1923 ई. का नागपुर का सत्याग्रह तथा 1926 ई. में भदौली का आंदोलन।

III. सरदार पटेल का राजनीतिक जीवन : 1930-1947 ई.

सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह के वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनकी सफल नेतृत्व को एक श्रद्धांजलि ही है की नमक आंदोलन गुजरात में पूर्ण रूप से सफल हुआ तथा अंग्रेजी सरकार की नीव को हिला दिया। 1930 ई के सत्याग्रह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की शख्सियत तेजी से उभरी। 1934 ई में कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया परंतु वह खुद इन चुनावों में खड़े नहीं हुए। सरदार पटेल में किसी भी व्यक्ति का चरित्र समझने की अद्भुत शक्ति थी। 1930 ई से लेकर 1947 ई तक सरदार वल्लभभाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए कई तरह की चुनौतियों का सामना किया। 1940 ई में पाकिस्तान की मांग 1942 ई में भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1945 ई के बाद मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाना, इन सभी में वल्लभभाई पटेल राष्ट्रहित की कामना करते हुए महात्मा गांधी के साथ चलते रहे। कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने भारत के विभाजन की स्वीकृति दी, परंतु वह सब इस बात को समझने में असमर्थ है कि किस तरह सरदार वल्लभभाई पटेल एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। वह इस बात को समझते थे कि मुस्लिम लीग की मांग को मानने की सूरत में भारत एक कमजोर राष्ट्र बन कर रह जाएगा। सरदार पटेल के लिए एक सशक्त राष्ट्र में सभी व्यक्तियों की एक ही पहचान होनी चाहिए।

भारत के विभाजन के समय भारत के अहित की भरपाई सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों को भारतीय विलय के लिए मना कर की। अंग्रेजी हुकूमत ने इस तरह के भारत की परिकल्पना की थी जिसमें भारतीय रियासतें जो लगभग 560 थी को यह फैसला करने का अधिकार मिला, कि वह या तो भारत में विलय कर सकती हैं या पाकिस्तान में, या फिर वह स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। शायद अंग्रेजी सरकार सोच्च रही थी कि स्वतंत्र भारत विभाजन पाकिस्तान तथा बाकी 560 रियासतों में कर दिया जाए जिससे वह हमेशा ही अंग्रेजी सरकार के अधीन रहकर काम करेंगे। स्वतंत्र रियासत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से यूरोपीय ताकतों पर निर्भर रहेगी। परंतु सरदार पटेल के सपनों का भारत कोई कमजोर राष्ट्र ना होकर एक ऐसा राष्ट्र था जो आने वाले विश्व के पटल पर सिरोही स्थान पर स्थापित होगा।

अपनी खराब सेहत बावजूद सरदार पटेल ने दूरदर्शिता के साथ इन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना दिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल गृह मंत्रालय को भी निर्देशित कर रहे थे। उनकी दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही उन्होंने हैदराबाद जैसे मुद्दों को बहुत कूटनीति के साथ सुलझा दिया। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। परंतु जमीनी हकीकत में सरदार पटेल बिस्मार्क के मुकाबले ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे, क्योंकि भारतीय बहुत संख्या रियासतों की गिनती धार्मिक उन्माद तथा कई जगहों पर प्रधानमंत्री नेहरू के साथ सरदार पटेल की अलग राय मुश्किल पैदा कर देती थी।

सरदार पटेल का भारतीय संविधान में भी अद्भुत बहुमूल्य योगदान रहा है, परंतु अभी तक इतिहासकारों ने इस तथ्य पर ज्यादा जानकारी नहीं डाली है। सरदार पटेल संविधान निर्माता कमेटी के साथ बनी एडवाइजरी यानी सुझाव कमेटी में थे जिसका मुख्य दायित्व ड्राफ्टिंग कमिटी को समय-समय पर सुझाव देना था। सरदार पटेल के तीन महत्वपूर्ण योगदान भारतीय प्रशासनिक सेवाएं नागरिक बिल, विभिन्न धार्मिक आधारित चुनाव प्रक्रिया का विरोध, तथा मौलिक अधिकार के रूप में देखे जा सकते हैं। सरदार पटेल के समय सबसे बड़ी चुनौती भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की भूमिका को निश्चित करना था क्योंकि अंग्रेजी सरकार के अधीन आईसीएस तथा पुलिस सर्विसेज भारतीयों के बीच में के मध्य काफी अप्रिय थी। इसीलिए बहुत बड़ा समूह इन ऑफिसर रोको अंग्रेजी हकूमत का चमचा मानता था और मानता था कि इन सब को स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। परंतु सरदार पटेल जो कि एक दूरदर्शी तथा बहुत ही सफल प्रशासनिक ढांचे की समझ वाले व्यक्ति थे. इस बात का अनुभव कर चुके थे कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं स्वतंत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

1945 ई. के बाद उन्होंने प्रशासनिक ऑफिसर के साथ काफी करीबी से कार्य किय तथा इस बात को महसूस किया कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में इन सेवाओं के प्रभाव से डाल दिया था। इसीलिए सरदार पटेल यह मानते थे कि बेशक भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था तथा एक नया अध्याय शुरू होने वाला है परंतु सभी भारत निर्माताओं को इस पहलू को

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421|A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 6, November-December 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1006031

कभी नहीं भूलना चाहिए की जो सशक्त सेवाएं भारत में अंग्रेजी सरकार के समय में तैयार की गई हैं उनका उपयोग स्वतंत्र भारत में भी रहेगा। उन्होंने इन अधिकारी को बुरा कहने वालों को यह कहा कि उन्होंने खुद इन लोगों के साथ काम किया है और इस बात पर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इन अफसरों की देशभक्ति उतनी ही शुद्ध हैं जितनी किसी और की। वह यह मानते थे कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं पूरे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहकर भारत की जनता को बहुत लाभान्वित कर सकती है। वह यह मानते थे इन प्रशासनिक सेवाओं का स्वतंत्र प्रभार किसी सरकार के अधिकारों से अधिकार से परे होना चाहिए। वह उम्मीद करते थे कि उनके साथ काम करने वाले ऑफिसर उनकी गलत बातों को बिना किसी डर के काट सकें या अपना सलाह बिना किसी डर के दे। अगर वैसा करते हैं तो वह अपना कर्तव्य देश के प्रति पूरा कर रहे हैं परंतु अगर वह सरकारों से डरकर या मंत्रियों से डरकर उनके प्रभाव के अधीन काम करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में वह राष्ट्र के काम नहीं आ सकते।

इन अफसरों को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा कि इन अफसरों का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय निर्माण की भागीदारी में सम्मान के साथ काम करें। वह समझते थे कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सशक्त छवि दया तथा सेवा के मूल्यों पर आधारित थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि गांधीवाद हमें प्रशासन की समझ सिखाता है। महात्मा गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला है. मुझे उनसे बदला लेना है। यह गांधीवाद नहीं है और यह हमें कहीं नहीं ले जा सकता। इसीलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझते हुए पूरे हृदय से कार्य करेंगे।

फलस्वरूप अनुच्छेद 314 की स्थापना हुई जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार के अधीन कार्य कार्यरत अधिकारियों को स्वतंत्र भारत में भी अपने क्षेत्र में स्थापित कर लिया गया। हमें यह बात समझनी चाहिए कि सरदार पटेल इस बात से भलीभांति परिचित है की इन प्रशासनिक सेवाओं ने ही अंग्रेजी सरकार को भारत में कई तरह की चुनौतियों में से उभारने के लिए सहायता की थी। अगर इन सेवाओं का फायदा राष्ट्र निर्माण की तरफ मोड दिया जाए तो इन के अनुभव के चलते जो शक्ति करण के तब्दीली के कारण समस्याएं पैदा होने वाली थी उनका निपटारा आसानी से किया जा सकता था।

सरदार पटेल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के मौलिक अधिकारों के स्वरूप को तैयार करने में था। सरदार पटेल ने अपने अधिवेशन कहा की एक वर्ग वह है जो यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मौलिक अधिकारों को संविधान में सुनिश्चित किया जाए। दूसरा इस पक्ष में है की मौलिक अधिकारों को सीमित रखा जाए जो कि जरूरी हो वही प्रदान किए जाएं। परंतु एक और विचारधारा है जो यह चाहती है कि यहां पर कोई पुलिस ना हो कोई जेल ना हो प्रेस पर कोई बंधन ना हो कोई लाठी ना हो और हर व्यक्ति अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसी सोच सत्य के धरातल पर खरी नहीं उतरेगी। वे यह भी मानते थे कि मौलिक अधिकारों में राजनैतिक स्वच्छता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह पूछा की राजनैतिक अधिकारों का अभिप्राय बहुत ही अस्पष्ट है तथा राष्ट्र ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकता कर रहा है जिसमें कई तरह की राजनीतिक विचारधारा को राष्ट्रीय विचारधारा में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके विपरीत कुछ राजनीतिक विचारधाराएं तो इतनी कितनी विध्वंसक है कि उनको दमन कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने राजनैतिक अधिकारों को भारत के मौलिक अधिकारों में नहीं रखा। सरदार पटेल ने अधि कारों की इस रचना का जवाब देते हुए राष्ट्र संपत्ति पर सभी नागरिकों का एक समान अधिकार होना चाहिए। पब्लिक संपत्ति जो किसी निजी संस्था या व्यक्ति के अधिकार में हो परंतु उसकी संरचना जन सुविधा के लिए स्थापित हो जैसे होटल, को भी मौलिक अधिकारों के सीमा में रखा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के अधीन स्थापित कम्युनल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि धर्म के आधार धर्म पर मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र भारत में मानने से इनकार कर दिया। धार्मिक मतदान के खिलाफ सरदार पटेल ने कहा कि भारत के इतिहास तथा भारतीय विभाजन की बजह से उनको यह विश्वास था कि असेंबली में विभिन्न धार्मिक रूप पर आधारित चुनाव की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को यह विश्वास था कि भारत एक नहीं बल्कि धार्मिक रूप से अलग-अलग वर्गों में बांटा हुआ राष्ट्र है, उनको पाकिस्तान मिला तथा वह वहां चले गए। अब भारत को धार्मिक पहचानों में ना पढ़कर बल्कि एक पहचान जो कि भारतीय हो के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए उस राष्ट्र में इलेक्टरेट धार्मिक धर्म पर आध ारित चुनाव प्रक्रिया के लिए कोई जगह शेष नहीं रहती। जिन लोगों को यह लगता था कि यह मतदान धारण धार्मिक रूप से विभिन्न होना सही है उन्हें पूरे विश्व में देखना पड़ेगा कि ऐसी भेदभाव वाली चुनावी प्रक्रिया विश्व के किसी भी विकसित देश में नहीं है, इसीलिए जिन मेंबरों या पार्टी जैसे मुस्लिम लीग को यह लगता है कि वह स्वतंत्र भारत में विभिन्न कम्युनल इलेक्टरेट को सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं, वह गलत है। अगर हम इस तर्क को समझें तो सरदार पटेल की दूरदर्शिता की पहचान हम कर सकते हैं। वह अपने सख्त रवैया की वजह से वह भारत को बार-बार धार्मिक उन्माद में विभाजित होने से बचा सके तथा भविष्य में भारत एक ताकतवर देश की तरह उभरने में भी कामयाब हो हर शब्द की टिप्पणी नागरिक बिल के पक्ष में नहीं है तथा आने वाली हर समस्याओं के निपटारे के लिए नागरिक संशोधन बिल में कई प्रावधान रखे गए हैं। उनका मानना था कि नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र की प्रभुसत्ता इसलिए सही उनको इसीलिए सही लगी क्योंकि विकेंद्रीकरण तथा क्षेत्रीय करण एक सशक्त भारत के निर्माण में चुनौती साबित हो सकता था इसीलिए नागरिका नागरिकता के अधिकारों को केंद्र के पास सुरक्षित रखा गया।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421|A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 6, November-December 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1006031

अल्पसंख्यक मुद्दों पर बात करते हुए पटेल ने कहा की अल्पसंख्यक समुदाय को यह समझना पड़ेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के लिए उनको बहुत संक्षेप पर विश्वास करना पड़ेगा और इसी तरह बहुसंख्यक वर्ग को भी इस बात के लिए के प्रत्ति चौतन्य रहना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक क्या सोच रहे हैं अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की जगह होते तो क्या चाहते हैं परंतु राष्ट्र हित के लिए अंत में हमें बहुत संख्या तथा अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति या पहचान को छोड़कर इस राष्ट्र में सिर्फ एक पहचान भारतीय बनानी होगी। नागरिकता का संशोधन के वक्त भी नागरिकता के बिल के वक्त भी प्रावधान के वक्त भी सरदार पटेल ने कहा था कि हम सबको इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे नागरिकता कानूनों पर पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हम इसे किस तरह से पूरा करते हैं। हर शब्द की टिप्पणी नागरिक बिल के पक्ष में नहीं है तथा आने वाली हर समस्याओं के निपटारे के लिए नागरिक संशोधन बिल में कई प्रावधान रखे गए हैं।

उनका मानना था कि नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र की प्रभुसत्ता इसलिए सही उनको इसीलिए सही लगी क्योंकि विकेंद्रीकरण तथा क्षेत्रीय करण एक सशक्त भारत के निर्माण में चुनौती साबित हो सकता था इसीलिए नागरिका नागरिकता के सादी अधिकारों को केंद्र के पास सुरक्षित रखा गया। परंतु उन्होंने यह भी बताया कि भारत की नागरिकता जाति धर्म क्षेत्र लिंग रंग तथा परिवार पर निश्चित नहीं होगी। सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित करवाया की सभी भारतीय नागरिकों को हर राज्य में सरकारी नौकरी या और तरह की नौकरी के बराबर के अधिकार दिए जाएंगे।

इस तरह से हम देखते हैं कि सरदार पटेल ने ना सिर्फ भारत की स्वतंत्रता रियासतों को भारत में मिलाने के लिए रजामंद करना तथा जम्मू-कश्मीर ऐसी समस्याओं में भारत के हितों की रक्षा करना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की बल्कि उन्होंने भारतीय संविध ान के निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। एडवाइजरी कमेटी यानी परामर्श कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने लेखन कमेटी को समय-समय पर कई परामर्श दिए जिसके आधार पर भारतीय संविधान में सभी पक्षों के हितों की रक्षा को की गई। परंतु इसके साथ साथ भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता को भी बचाया जा सका। वह भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के पैमानों पर परिपूर्ण देखना चाहते थे, जिसमें मौलिक अधिकार, प्रशासनिक सेवाएं, केंद्र तथा राज्य और कई महत्वपूर्ण इकाइयां सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के प्रति समर्पित हो। परंतु अभी तक सरदार पटेल के की शख्सियत को सिर्फ भारत के रियासतों को भारत में मिलाने पर ही सीमित कर दिया गया है। उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तथा इससे भी अधिक भारतीय संविधान के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका को शैक्षिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया गया जोकि अफसोस जनक है।

IV. निष्कर्ष

सरदार वल्लभभाई पटेल आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राष्ट्रनायक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण किसी भी जटिल राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर सकता है। रियासतों का एकीकरण केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक एकता का प्रतीक था। यदि पटेल अपने कूटनीतिक कौशल और नेतृत्व के साथ आगे न आते, तो भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित रहकर विकास एवं सुरक्षा के लिए संकटग्रस्त हो सकता था।

पटेल ने लोकतंत्र के विस्तार, प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखने की परंपरा स्थापित की। 'लौह पुरुष' के नाम से प्रसिद्ध पटेल का राष्ट्रहित सर्वोच्च था, और इसी भावना ने उन्हें स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक दूरदर्शी नेता सिद्ध किया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनका समर्पण आज भी भारत के शासन-प्रशासन और संवैधानिक मूल्यों का मार्गदर्शन करता है।

समग्रतः कहा जा सकता है कि सरदार पटेल का योगदान केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की एकता, सुरक्षा और विकास की नींव है। उनका दृष्टिकोण यह संदेश देता है कि राष्ट्रनिर्माण तब ही संभव है जब राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत और प्रांतीय हितों पर वरीयता दी जाए। अतः भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में पटेल का योगदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो सदैव प्रेरणा-स्रोत बना रहेगा।

संदर्भ

1. नवेद जमाल, सरदार वल्लभभाई पटेल एन आईकैन ऑफ इंडियन यूनिटी, 32 दिनांक 4-10 नवंबर 2017, http://employmentnews.gov.in/
New Emp/MoreContent New.aspx?n-SpecialContent&k-212
2. पी. डी संगी, पोर्टेट ऑफ द पैट्रियोट, पी. डी संगी (संपादन), लाइफ एंड वर्क ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल, ओवरसी पब्लिकेशन हाउस, मुंबई, पृष्ठ vii

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421|A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 6, November-December 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1006031

3. सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया, पीयरसन एजुकेशन इंडिया, पृष्ठ 1.58
4. नवेद जमाल, सरदार वल्लभभाई पटेल एन आईकैन ऑफ इंडियन युनिटी, 32 दिनांक 4-10 नवंबर 2017
5.मारिया जे. पोन्नेझथ, थिंग्स टू नो अबाउट सरदार, द बौक, 31-10-2017,https://www.theweek.in/webworld/features/society/things-to-know-about-sardar-.html
6. डी. ए. देसाई, 'फरेमिंग ओफ इंडियाश्स कानसटिटीयूशनः कानटरीबयूशन आफ सरदार पटेल', जरनल आफ द इंडियन ला ईनसटिटीयूट, अं. 30 (जनवरी मार्च) 1 पृष्ठ 2
7. भारतीय विधान परिषद् विवाद, 1-4, पृष्ठ 52
8. 314.1 [कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों के संरक्षण का प्रावधान। संविधान अट्ठाईस संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा छोड़ दिया गया था।
9. भारतीय विधान परिषद् विवाद, 14, पृष्ठ 409
10. भारतीय विधान परिषद् विवाद, पृष्ठ 431
11. भारतीय विधान परिषद् विवाद, पृष्ठ 225
12. भारतीय विधान परिषद् विवाद, पृष्ठ 23

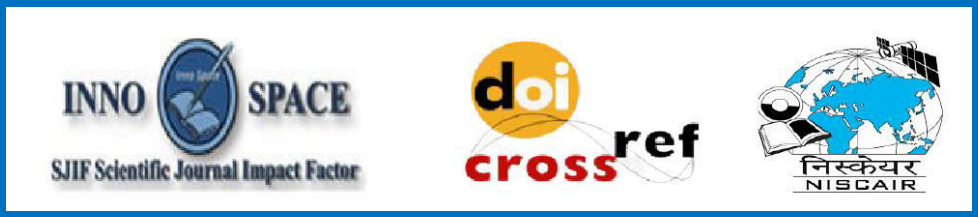

IJARETY

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com